न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/112/2023 रजू दिनांकः 08.09.2023 रजि0 न0 2023/656

अपीलार्थीः—
श्री आचार्य महेन्द्र मोहन दास चेला स्व0 श्री रामचन्द्र दास जी महाराज, ठिकाना भानगढ़, श्री हनुमान मन्दिर, गांव—गोला का बास/धीरोडा तहसील—टहला, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 23.10.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 26.09.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक सम/1767—68/7901—68 दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2023 के परिपेक्ष्य में कार्यालय के पत्रांक 1338—41 दिनांक 10.08.2023 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचना आवेदन में अंकित पते पर विनिश्चय पत्र जरिये तहसीलदार टहला प्रेषित किया गया, किन्तु अंकित पते पर अपीलार्थी के निवास नहीं किए जाने व जयपुर रहने के कारण पत्र अदम तामिल प्राप्त हुआ। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र जयपुर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु आग्रह किया है, किन्तु जयपुर का पता ना ही आवेदन में अंकित है और ना ही कहीं पृथक से ही इस कार्यालय को प्रेषित किया है। तथापि सूचना आवेदन में वर्णित ई—मेल एड्रेस पर पत्र ई—मेल किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा मिथ्या—अपूर्ण जानकारी अंकित कर इस कार्यालय एवं अन्य कार्यालय का श्रम, समय नष्ट किए जाने की चेष्टा की गई है जो उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील खारिज फरमाई जावें।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा आदिनांक तक अपीलार्थी के प्रथम आवेदन में वांछित पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम आवेदन में वांछित सूचना यदि देयता की श्रैणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। जहां तक अपीलार्थी के पते का प्रश्न है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन एंव प्रथम अपील आवेदन में अंकित निवास/पते पर सूचना प्रेषित की जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)